CORPORATE OFFICE
Delhi Office
706 Ground Floor Dr. Mukherjee Nagar Near Batra Cinema Delhi – 110009
Noida Office
Basement C-32 Noida Sector-2 Uttar Pradesh 201301

Yojna IAS
yojnaias.com
योजना है तो सफलता है
website : www.yojnaias.com
Contact No. : +91 8595390705

Date : 5 जनवरी 2023

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

संदर्भ- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सामने आया है जिसमें कोर्ट ने मंत्रियों के बयानों/टिप्पणियों के लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं माना है। भले ही बयान राज्यों से संबंधित ही क्यों न हो। निर्णय के अनुसार अनुच्छेद 19(1) में आधारित किसी भी अभिव्यक्ति या भाषण के अधिकार को अनुच्छेद 19(2) में निर्धारित आधारों के अतिरिक्त किसी भी आधार पर रोका नहीं जा सकता। लेकिन यदि सरकार के विचार भी शामिल हों तो देनदारी संभव है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता- किसी व्यक्ति या समुदाय द्वारा बिना किसी दण्ड या भय के किसी मत को प्रकट कर पाने की स्थिति होती है।

अनुच्छेद 19(1) ए- भारत के संविधान में भारत के नागरिकों को अनुच्छेद 19(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है जिसके तहत किसी भी भारतीय नागरिक को अपने विचारों को बोलकर लिखकर, चित्रांकन, छपाई या फिर फिल्म द्वारा अभिव्यक्त करने का अधिकार है।

अनुच्छेद 19(2) – देश में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 19(2) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के निम्नलिखित बिंदुओं को प्रभावित करने वाले भाषणों में प्रतिबंध लगाया गया है। जैसे-

- राज्यों की सुरक्षा
- विदेशी राज्यों के साथ कुछ मैत्रीपूर्ण संबंध
- नैतिकता व शालीनता
- सार्वजनिक व्यवस्था
- न्यायालय की अवमानना
- मानहानि
- किसी अपराध के लिए उकसाना
- भारत की संप्रभुता व अखण्डता

फ्री स्पीच केस जो मंत्रियों, सांसदों या विधायकों के अभिव्यक्ति की आजादी से संबंधित है। संविधान के निम्न प्रावधान मंत्रियों की अभिव्यक्ति या भाषण के अधिकार से संबंधित है।

अनुच्छेद 105- संसद में या उसकी किसी समिति में संसद सदस्य द्वारा दिए गए किसी मत या विचार पर न्यायालय कोई कार्यवाही नहीं कर सकती है। इसके साथ ही किसी व्यक्ति पर संसद के प्राधिकार द्वारा उसके अधीन किसी प्रतिवेदन, मतपत्र या कार्यवाहियों के प्रकाशन के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

अनुच्छेद 194- राज्य के विधान-मंडल में या उसकी किसी समिति में विधान-मंडल के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे विधान-मंडल के किसी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन पत्र, मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के संबंध में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत- मंत्रीपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसके अनुसार सभी मंत्री सरकार के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। यदि लोकप्रिय सदन किसी मंत्री पर अविश्वास करे तो मंत्री को सदन से त्यागपत्र देना पड़ता है यदि मंत्री त्यागपत्र न दे तो सम्पूर्ण मंत्रीपरिषद को सामूहिक उत्तरदायित्व के रूप में पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। केस में यदि सदस्य, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में बयान देता है तो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू किया जा सकता है।

मुक्त भाषण, घृणास्पद भाषण व धार्मिक-भावना को ठेस पहुँचाने वाला भाषण

- **मुक्त भाषण** की रक्षा का अर्थ है एक स्वतंत्र प्रेस, लोकतांत्रिक प्रक्रिया, विचारों की विविधता, और बहुत कुछ की रक्षा करना। ACLU ने 1920 से यह सुनिश्चित करने के लिए काम किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी के लिए सुरक्षित रहे। और इसका दुरुपयोग न हो।
- **घृणास्पद भाषण –** अभद्र भाषा किसी व्यक्ति या समूह के वास्तविक या कथित "पहचान कारकों" को संबोधित करती है, जिसमें शामिल हैं: धर्म, जातीयता, राष्ट्रीयता, जाति, रंग, वंश, लिंग", लेकिन भाषा, आर्थिक या सामाजिक मूल, अक्षमता, स्वास्थ्य की स्थिति, या यौन अभिविन्यास, कई अन्य के कारण घृणा उत्पन्न करती है। संयुक्त राष्ट्र ने घृणात्मक भाषण को रोकने के लिए विभिन्न देशों के साथ मिलकर कार्ययोजना तैयार की है। इसके तहत सकारात्मक भाषण को बढावा दिया जाएगा।
- **धार्मिक-भावना को ठेस पहुँचाने वाला भाषण-** जानबूझकर हिंसा बढ़ाने के लिए किया गया कृत्य जो किसी विशिष्ट मसुदाय को भड़काने के लिए प्रयुक्त किया जाता है।भारतीय दण्ड संहिता के 295(ए) के तहत किसी समुदाय की अभद्र भाषा समेत धार्मिक भावना ठेस पहुँचाने के लिए किया गया कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है।

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है
yojnaias.com

आगे की राह-

- सामाजिक रूप से घृणास्पद व नफरत फैलाने वाले भाषणों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।
- अशोभनीय भाषणों को समाज में सहज स्थान नहीं मिलना चाहिए।

गुंजन जोशी

ग्रीन हाइड्रोजन मिशन

संदर्भ- हाल ही में केंद्रीय मंत्रीमण्डल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन के उपयोग, उत्पादन, निर्यात के माध्यम से वैश्विक केंद्र बनाना है।

हरित हाइड्रोजन- हरित हाइड्रोजन का प्रयोग ईंधन, औद्योगिक, बिजली उत्पादन के लिए किया जा सकता है, यह कार्बन मुक्त हाइड्रोजन गैस है जिसे अक्षय ऊर्जा के प्रयोग द्वारा निर्मित किया जाता है। हाइड्रोजन को निर्मित करने के लिए पानी से ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को इलैक्ट्रोलिसिस विधि के माध्यम से अलग किया जाता है।

हाइड्रोजन के प्रकार-

- हाइड्रोकार्बन जैसे जीवाश्म ईंधन व प्राकृतिक गैस से उत्पादित हाइड्रोजन को ग्रे हाइड्रोजन कहा जाता है। यह सबसे बड़ी मात्रा में उत्पादित की जाती है।
- जीवाश्म ईंधन से उत्पादित हाइड्रोजन जिसकी प्रक्रिया पर्यावरण में कार्बन के उत्सर्जन को रोकती है, ब्लू हाइड्रोजन कहलाता है। यह उत्सर्जन की दृष्टि से ग्रे हाइड्रोजन से बेहतर है।
- ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में अक्षय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। अर्थात न्यूनतन कार्बन उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है।

ग्रीन हाइड्रोजन के लाभ

- यह एक स्वच्छ ज्वलनशील अणु है जो लोहा, इस्पात,परिवहन के विभिन्न क्षेत्रों को डिकार्बोनाइज कर सकता है।
- ग्रीन हाइड्रोजन, उर्वरक उत्पादन, पेट्रोलियम शोधन, इस्पात उत्पादन, और परिवहन अनुप्रयोगों में जीवाश्म आधारित फीडस्टॉक को कम कर सकती है।

- जीवाशम ईंधन के आयात में कमी आएगी।
- 2030तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन लक्ष्य को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

ईंधन अनुप्रयोग की प्रक्रिया-

- हाइड्रोजन ऊर्जावाहक है, यह परिवहन माध्यमों जैसे कार या ट्रक में हाइड्रोजन ईंधन को ईंधन सेल स्टैक उपकरण के माध्यम से विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। जिससे कार या ट्रक को बिजली की आपूर्ति होती है।
- ईंधन सेल ऑक्सीकरण न्यूनीकरण प्रक्रिया(Redox) में ऑक्सीकरण एजेंटों के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है।
- ईंधन सेल आधारित वाहन आमतौर पर बोर्ड पर इलेक्ट्रिक मोटर को चलाने के लिए बिजली का प्रयोग करते हैं। इसलिए उन्हें इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) माना जाता है।
- हाइड्रोजन फ्यूल सेल कारों में लगभग शून्य कार्बन उत्सर्जन होता है। ईंधन के रूप में हाइड्रोजन, पेट्रोल तुलना में लगभग 2-3 गुना कुशल है, क्योंकि यह विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया, पेट्रोल दहन की तुलना में बहुत अधिक कुशल होती है। टोयोटा मिराई और होंडा क्लैरिटी कारों को ईंधन सेल द्वारा संचालित किया जाता है।

हरित हाइड्रोजन की वर्तमान स्थिति

- विद्युत उत्पादन के लिए भारत अधिकतर कोयला आधारित ईंधन का प्रयोग करता है, लेकिन इसके साथ ही सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि अक्षय ऊर्जा का भी प्रयोग किया जा रहा है।भविष्य में इसमें हरित हाइड्रोजन का प्रयोग भी किया जा सकता है।
- अप्रैल 2022 में ऑयल इण्डिया लिमिटेड ने असम के जोरहाट में 99.99% शुद्धता वाली ग्रीन हाइड्रोडन के निर्माण के लिए संयंत्र स्थापित किया गया है।

ग्रीन हाइड्रोजन की कम उत्पादकता-

- **तकनीकि-** इसमें प्रयोग की जाने वाली तकनीक जैसे कार्बन कैप्चर और स्टोरेज(CCS) और स्टोरेज हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रौद्योगिकी की वर्तमान स्थिति प्रारंभिक अवस्था में है।
- **लागत-** भारत में इसकी उत्पादन लागत 350-400 रुपये प्रति किलो है, जबकि ग्रे हाइड्रोजन की लागत मात्र 100 रुपये प्रति किलो है। जिससे ग्रे हाइड्रोजन का प्रयोग अधिक होता आ रहा है।
- ईंधन के रूप में इसके प्रयोग के लिए **बुनियादी ढांचा** जैसे निर्माण, प्रौद्योगिकी, मांग,निवेश आदि की आवश्यकता है।

गुंजन जोशी